फर्द अहकाम

कैलाश बनाम रूडमल

न्यायालय सहायक कलक्टर (PT) शाहपुरा-जयपुर

संख्या 138/2019 दावा - दुरुस्ती इन्द्राज

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वकील वादी ने आज्ञप्ति/दावा में वर्णित तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, [illegible], साक्ष्य शपथ-पत्र का अवलोकन करवाते हुए प्रस्तुत वाद-पत्र की ताईद की व दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 2/8/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	2/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वकील वादी की बहस श्रवण किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात, [illegible], साक्ष्य शपथ-पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 138/2019

शीर्षक

1. कैलाश पुत्र बंशीधर
2. गिरधारी पुत्र बंशीधर
3. ग्यारसीलाल पुत्र बंशीधर
4. रामकरण पुत्र बंशीधर
5. श्रीमती सूजी देवी पत्नी बंशीधर

जाति माली, निवासी ढाणी तोलीवाला, ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. रूडमल पुत्र लादूराम (मृतक दौराने दावा)
   - 1/1 सुरेश पुत्र रूडमल
   - 1/2 हरिराम पुत्र रूडमल
   - 1/3 रोहिताश पुत्र रूडमल
   - 1/4 पिंकी पुत्र रूडमल
   - 1/5 लाली देवी पुत्री रूडमल
   - 1/6 श्रीमती तोफली देवी पत्नी रूडमल
2. मदनलाल पुत्र लादूराम
3. जगदीश पुत्र लादूराम
4. भगवान सहाय पुत्र लादूराम
5. श्रीमती ज्याना देवी पत्नी लादूराम

समस्त जाति माली, निवासी ढाणी तेलीवाला, ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

6. नगरपालिका मण्डल शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 2/8/2024

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खसरा नंबर 686/0.16 है0 वाकै हाल ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादीगण को यह भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। वादीगण अपनी वंश परम्परा से इसका लगान मांग के अनुसार राज. में जमा कराते आ रहे है। वादीगण एक ही खानदान प्रभात के वारिसान उतराधिकारी है, जिनका सजरा खानदान निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

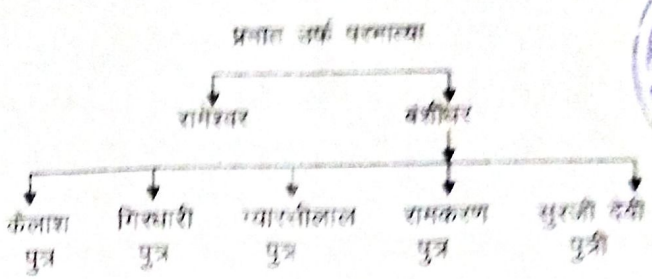

जिमन नं. 1 में वर्णित भूमि पर पहले वादीगण का पूर्वज प्रभात उर्फ परमात्या पुराना खसरा नंबर 478 की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2012 से सम्वत 2028 तक मालिकाना हक दर्ज कब्जा काश्त चला आ रहा है जो सैटलमेन्ट के दौरान पुराना खसरा नंबर 477 व 478 दोनो खसरा से एक नया खसरा नंबर 686 बनाया उसमे परमात्या उर्फ प्रभात का नाम अंकित होने से छूट गया है इसलिये खसरा नंबर 686 में वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। परमात्या उर्फ प्रभात के मृत्यु के बाद काबिज काश्त रहा है वादीगण के पूर्वज प्रभात के दो पुत्र हुये जिन्होने अपनी भूमि का पहले से ही बंटवारा कर लिया था जो कि जिमन नं. 1 में वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज बशीधर वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त में आयी तथा रामेश्वर के हिस्से में अन्य खसरा की भूमि आयी। वादीगण के हिस्से कब्जे में आयी उक्त भूमि जिस पर वादीगण अपने पूर्वज के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि का पर्चा भू– प्रबन्ध के समय पुराना खसरा नंबर 477 लादू के नाम दर्ज था तथा पुराना खसरा नंबर 478 परमात्या उर्फ प्रभात कौम माली के नाम दर्ज था जो सैटलमेन्ट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त दोनो पुराने खसरा नंबर 477 व 478 का नया नंबर 686 बनया गया है। लेकिन बिना किसी कारण भू प्रबंध विभाग मे परमात्या उर्फ प्रभात का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हटाकर लादू के नाम दर्ज कर दिया है इसलिये जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2028 तक दर्ज नाम के अनुसार एंव भू प्रबंध विभाग की गलती को दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड करवाने का अधिकारी होने के कारण भी उक्त पूर्वजो के समय से चली आ रही कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। गलत रूप मे गलती से बिना किसी अधिकार के प्रतिवादीगण के पूर्वज लादू के नाम दर्ज कर दिया है। इन प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 5 का व उनके पूर्वज लादू का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त हक, अधिकार हिस्सा नही है। जो वादीगण की भूमि का पर्चा गलती से प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम से हो जाने से काबिले दुरुस्ती है। वादीगण व पूर्वज का भूमि मुतदाविया पर 67 वर्षो से अधिक समय पुराना खसरा नंबर 478 वादीगण के दादा के नाम जमाबंदी सम्वत 2012 से रहा है लेकिन भू प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 477 व 478 से नया नंबर 686 बनाया गया था उक्त सैटलमेन्ट के दौरान केवल लादू के नाम दर्ज कर परमात्या उर्फ प्रभात का नाम गलती से दर्ज नही हो सका। लेकिन वादीगण उक्त खसरा नंबर 686 पर लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व विभाग की गलती को वादीगण सम्वत 2012 से सम्वत 2028 तक जमाबंदी खातेदार काश्त व गिरदावरी कब्जे काश्त के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण लगातार खसरा नंबर 686 का कब्जे काश्त लगातार प्रतिवादीगण की जानकारी में निर्बाद रूप में बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त शांतिपूर्वक रूप से चलता आ रहा है, जिससे विकल्प रूपेण भी (in the alternative) कब्जा मुफालपाना से (adverse possession / प्रतिकूल कब्जा) से वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है।

सहायक कलक्टर
लालसोट (जिला-जयपुर) राज.

वादीगण के दादा ने प्रतिवादीगण सं. 1 जगायल 5 के पूर्वज को उक्त जिमन नं. 1 में वर्णित भूमि के राजस्व खातेदारी रिकार्ड मे दुरूस्ति नाम कराने के लिए कई बार कहा तो वह हाँ करते हुये टालमटोल करता रहा तथा उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी उसकी मृत्यु के बाद वादीगण व वादीगण के पूर्वज ने प्रतिवादीगण को कहा तो पहले तो हाँ करते रहे तथा कहा कि वादीगण की जमीन है वादीगण बो रहे हो वादीगण का कब्जा है, प्रतिवादीगण की भूमि मे कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण अपनी जमीन बो रहे है व वक्त आने पर वादीगण के नाम करवा देगे लेकिन अर्सा एक माह पहले वादीगण ने प्रतिवादीगण को जोर देकर कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ तौर पर इकार कर दिया कि अब हम कुछ नही नाम करा सकते अब भूमि प्रतिवादीगण सं. 6 के नाम हो गयी है अब प्रतिवादीगण उक्त वादीगण की भूमि में वादीगण का नाम नही करायेगे तथा प्रतिवादीगण ही वादीगण की भूमि पर कब्जा करेगे तथा किसी खुर्दबार अजनबी क्रेता भूमाफिया को भूमि का प्रतिवादी सं. 6 से मिलकर अपने नाम पटटा लेकर प्लाट काटेगे फिर विक्रय करेगे।

यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मंसूबों में कामयाब हो गये एवं वादीगण को उसके हक अधिकार की खातेदारी से महरूम कर दिया तो वादीगण को अपरिमनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं होगी एवं वादीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा।

वादीगण की भूमि का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रतिवादी सं. 6 के नाम बिना किसी अधिकार बिना सूचना, सुनवाई, एक पक्षीय में गलत रूप में कर दिया है जिसका वादीगण को अधिकार है कि उक्त जिमन नं. 1 में वर्णित अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के खातेदारी अधिकारों की अपने पक्ष में घोषणा करावे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती अमल करावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत बेजा पैदा नहीं करे।

इस प्रकार बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा अर्सा एक माह पूर्व इन्कार करने तथा वादीगण की भूमि का बिना किसी हक अधिकार बिना सूचना सुनवाई के प्रतिवादी सं. 6 के नाम राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी में गलत इन्द्राज नाम कर दिये जाने व दिनांक 15.10.1955 बदिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से वाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण प्रार्थी है कि भूमि हाल खसरा नंबर 686/0.16 हैक्ट. वाकै हाल ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित का प्रतिवादीगण के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आदेश डिक्री बहक वादीगण फरमाया जावे प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया जावे तथा इसका राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाया जावे। एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की उक्त भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग करने देवे व अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता दीपक शर्मा उपस्थित आये। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। दिनांक 16.01.2023 को वकील

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रतिवादी ने आदेशिका पर प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 की हिदायत पैरवी नही करने बाबत् No Instruction का अंकन किया एवं वकील वादी का प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 की पुनः तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। वकील वादी सशोधित टाईटल पेश किया। कायम मुकाम की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 04.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में दिनांक 22.09.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 बावजूद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू–1 शपथ–पत्र पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। वकील वादी को उक्त आवेदन पर सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत न्यायाहित में प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित वाद–पत्र पेश किया एवं वकील वादी ने साक्ष्यवादी में रामकरण सैनी का शपथ–पत्र पेश किया। वकील वादी ने अपने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए वाद–पत्र में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करवाते हुए, वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यवादी शपथ–पत्रों का हवाला देते हुए अपने वाद–पत्र की ताईद की एवं दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रदर्श का अवलोकन किया गया। प्रदर्श संख्या 1 (मिलान क्षेत्रफल), प्रदर्श संख्या 2 (जमाबंदी संवत 2072–2075), प्रदर्श संख्या 3 (जमाबंदी संवत 2068–2071), प्रदर्श संख्या 4 (जमाबंदी) के अवलोकन से जाहिर होता है कि भू–प्रबंध के समय पुराना खसरा नंबर 477 लादू के नाम दर्ज था तथा पुराना खसरा नंबर 478 परभात्या उर्फ प्रभात कौम माली के नाम दर्ज था जो सैटलमेन्ट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आराजी खसरा नंबर 477 व 478 का नया नंबर 686 बनाया गया है। नया खसरा नंबर 686 बनाये जाने के उपरांत खसरा नंबर 686 लादू के नाम दर्ज किया गया है। वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 686 रकबा 0.16 है0 लादूराम के वारिसान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवम् नामान्तरण संख्या 1725 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 686 रकबा 0.16 है0 के समस्त खातेदारों के स्थान पर नगरपालिका शाहपुरा, आवासीय प्रयोजनार्थ का अंकन है। नया खसरा नंबर 686 बनाये जाने के उपरांत परभात्या उर्फ प्रभात की भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया है, जो कि दुरूस्तनीय है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रदर्श वाद–पत्र की ताईद करने में सफल रहे है। इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम प्रदर्श, एवं साक्ष्य वादी के शपथ पत्रों अवलोकन में भी यही जाहिर किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श , साक्ष्य शपथ–पत्र के अनुसार वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 477 लादू व 478 परभात्या उर्फ प्रभात के नाम दर्ज था उक्त दोनों आराजी खसरा नंबर से नया खसरा नंबर 686 रकबा 0.16 है0 बना, जिसमें परभात्या उर्फ प्रभात का नाम लिपिकिय त्रुटि अथवा सेटलमेंट की भूल की वजह से अंकन नहीं हो

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

[illegible] [illegible] [illegible]/अधिकारियों को पुरस्कृत करते हुए [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] के [illegible] के [illegible] किये जाते हैं। [illegible] [illegible] जारी की।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

([illegible] [illegible])

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]